भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 511
दिनांक 03.02.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कार्यान्वयन

511. श्री जय प्रकाशः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन वांछित गति से प्रगति नहीं कर रहा है,

2. क्या वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के कारण कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं,

3. वर्ष 2020 से आज की तिथि तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है:

4. क्या सरकार ने योजनाओं की निगरानी, सामाजिक संपरीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

5. पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और हिसार क्षेत्र में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समयबद्ध कार्य योजना क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सुदृढ़ीकरण और कुशल कामकाज के लिए निरंतर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है, जिसमें योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू करता है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे पंचायत प्रोत्साहन (आईओपी) की केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका उद्देश्य पंचायतों को सभी स्तरों पर उनके अच्छे विकासात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (ईएमएमपी), जिसका उद्देश्य ई-शासन को बढ़ावा देना है, क्रियान्वित हैं। इन योजनाओं को हरियाणा के हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी, भागीदारी और सहयोग के साथ कार्यान्वित किया जाता है। यद्यपि योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई

देरी नहीं हुई है, फिर भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, विशेष रूप से विभिन्न मापदंडों पर आरजीएसए के संबंध में, विभिन्न कारणों से हर राज्य में अलग-अलग होता है जैसे कि समय पर राज्य के हिस्से की धनराशि की उपलब्धता या रिलीज, पंचायतों के लिए चुनाव का समय पर संचालन, वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना, वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली केंद्रीय हिस्सेदारी की रिलीज के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र का समय पर जमा करना और ग्राम पंचायत स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों और पीआरआई के बीच समन्वय।

हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के तहत, हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत 9,385 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	**प्रशिक्षण की श्रेणी**	**प्रशिक्षित प्रतिभागी**
1	पुनश्चर्या प्रशिक्षण	6,841
2	विशेष प्रशिक्षण	2,544
	कुल	**9,385**

इसके अलावा, यह सूचित किया गया है कि वित्त आयोग अनुदान के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान हिसार लोकसभा क्षेत्र की पंचायतों को कुल ₹464.30 करोड़ की राशि जारी की गई थी, जिसमें से ₹403.60 करोड़ का उपयोग इसी अवधि के दौरान किया गया है, जो जारी की गई राशि का 87% है।

(ग): हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों में 19,675 स्वीकृत विकास कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं और केंद्रीय/राज्य वित्त आयोगों के तहत 1005.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से वर्ष 2020 से 998.27 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(घ) और (ङ): डिजिटल इंडिया पहल के तहत, पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशनों को विकसित करके और उन्हें लोकप्रिय बनाकर जमीनी स्तर पर वित्तीय और शासन पारदर्शिता, कार्यदक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे रहा है। ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन को पंचायत स्तर पर नियोजन, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ई-ग्राम स्वराज का पीएफएमएस के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध निधि प्रवाह सुनिश्चित होता है और देरी कम होती है। ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन को पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीईएम के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लिकेशन से पंचायत में जनता के लिए कार्यों की योजना, गतिविधियों और प्रगति की जानकारी सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है। साथ ही, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत विकसित 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लिकेशन में पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान की गई है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सहायता मिली है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस, डैशबोर्ड पर नियमित फीडबैक आदि के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की गहन निगरानी के लिए समय-समय पर समीक्षा/वास्तविक (फिजिकल)

जांच करते हैं। मंत्रालय योजना के प्रभाव का आकलन करने और बेहतर परिणाम के लिए योजना/योजनाओं में आगामी सुधार हेतु कमियों की पहचान करने के लिए तीसरे पक्ष से योजना का मूल्यांकन कराता है।

***